राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

2019-20

अभियोजन निदेशालय,

प्रशासनिक विभाग गृह, (ग्रुप–10) विभाग

राजस्थान, जयपुर

विषय–सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1
2.	अभियोजन विभाग का संगठनात्मक ढॉचा एवं पदीय स्थिति	2–3
3.	अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढॉचा	4
4.	विभागीय प्रमुख कार्य	5
5.	प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 5 वर्ष से तुलना	6–8
6.	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियॉ	9–11

1 <u>भूमिका</u> :— आपराधिक न्याय प्रशासन के तीन महत्वपूर्ण अंग है। प्रथम पुलिस, जो आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात् प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के उपरान्त नतीजा न्यायालय में पेश करती है । द्वितीय न्याय पालिका, जो विचारण करती है। तृतीय पक्ष अभियोजन है, जो पुलिस एवं न्याय पालिका के मध्य की भूमिका निभाता है एवं अभियुक्तगण को दण्डित करवाने एवं न्याय व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रशासन का अभियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है।

नवीन ''दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एक अप्रेल 1974 से प्रभावी हुई। दण्ड प्रकिया संहिता में अभियोजन के महत्व को देखते हुए अभियोजन विभाग को पुलिस विभाग से अलग किया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुरुप राज्य में वर्ष 1974 में अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया। अभियोजन निदेशालय के प्रमुख, निदेशक अभियोजन को बनाया गया। तत्पश्चात् उक्त पद को क्रमोन्नत कर विशिष्ठ शासन सचिव पदेन निदेशक अभियोजन का पद किया गया ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्ष 2005 में एक नवीन धारा 25ए जोड़ी गयी, जिसके फलस्वरूप राज्य में अभियोजन निदेशालय का पुर्नगठन किया गया है। संहिता की धारा 25ए के प्रावधानों के अनुरूप विशिष्ठ शासन सचिव गृह पदेन निदेशक अभियोजन के पद को परिवर्तित कर राज्य में निदेशक अभियोजन का पद स्वतंत्र रूप से सृजित किया गया एवं अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग गृह (ग्रुप—10) विभाग में विशिष्ठ शासन सचिव, गृह विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी का पद सचिवालय के स्तर पर सृजित किया गया।

प्रशासनिक ढांचा मजबूत किये जाने हेतु अभियोजन निदेशालय में दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन के सृजित किये गये है, जिसमे से एक पद न्यायिक सेवा का एवं एक पद राजस्थान अभियोजन सेवा से भरे जाने हेतु निर्धारित किया गया है।

2. **अभियोजन विभाग का संगठनात्मक ढॉचा एवं पदीय स्थिति** :–

क. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1.	निदेशक अभियोजन	1	0	1	वि.शा.स.गृह के पास अतिरिक्त प्रभार
2.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्यायिक सेवा)	1	1	0	–
3.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन सेवा)	1	0	1	–
4.	उप निदेशक अभियोजन / लोक अभियोजक	14	10	4	2 पद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एव 1 पद लोक अभियोजक श्रीगंगानगर
5.	सहायक निदेशक अभियोजन / विशिष्ठ लोक / अपर लोक अभियोजक	83	75	8	35 पद जिला स्तर पर 16 पद अपर लोक अभियोजक 11 पद विशिष्ट जोक अभियोजक 01 पद सी.आई.डी.(सी.बी.) 01 पद निदेशालय चिकित्सा विभाग 15 पद विशेष लोक अभियोजक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय 02 पद अभियोजन निदेशालय 01 पद आर.पी.ए. 01 पद बम ब्लास्ट न्यायालय
6.	अभियोजन अधिकारी	269	222	47	01 पद सी.आई.डी.(सी.बी.) 01 पद आर.पी.ए. 02 पद पी.टी.एस. 01 पद ए.टी.एस. 02 पद जे.डी.ए. शेष पद न्यायालयो मे अभियोजन पैरवी हेतु
7.	सहायक अभियोजन अधिकारी	427	361	66	01 पद सी.आई.डी.(सी.बी.) 01 पद अभियोजन निदेशालय शेष पद न्यायालयो मे अभियोजन पैरवी हेतु
8.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	2	2	0	–
9.	निजि सचिव	1	0	1	
10.	अतिरिक्त निजी सचिव	3	3	0	–
11.	संस्थापन अधिकारी	2	0	2	–
12.	प्रशासनिक अधिकारी	5	4	1	
13.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	46	25	21	–
14.	निजि सहायक	5	4	1	–
15.	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	1	0	1	–

16.	कनिष्ठ लेखाकार	24	19	5	–
17.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1	–
18.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0	–
19.	सांख्यिकी निरीक्षक	1	1	0	–
20.	शीघ्र लिपिक	9	0	9	–
21.	सूचना सहायक	39	20	19	
22.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	125	73	52	–
23.	वरिष्ठ सहायक	284	160	124	
24.	कनिष्ठ सहायक	542	124	418	
25.	ड्राईवर	1	1	0	–
26.	जमादार	31	7	24	–
27.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	698	176	522	–
	योग	**2617**	**1289**	**1328**	**–**

3 अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढ़ांचा

↓

1	निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)
2	दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (मुख्यालय स्तर पर)
3	उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
4	सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5	सहायक निदेशक अभियोजन (सतर्कता)
6	वरिष्ठ विधि अधिकारी
7	सहायक लेखाधिकारी प्रथम
8	निजी सचिव
9	अतिरिक्त निजी सचिव
10	सहायक अभियोजन अधिकारी(मुख्यालय)
11	सहायक सांख्यिकी अधिकारी / सांख्यिकी निरीक्षक
12	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कनिष्ठ लेखाकार
13	संस्थापन अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी एवं मंत्रालयिक कर्मचारी
14	जमादार / च.श्रे. कर्मचारी

4. **विभागीय प्रमुख कार्य** — अभियोजन विभाग का मुख्य कार्य आपराधिक प्रकरणो मे पैरवी किया जाना है। इस संबंध मे पैरवी की व्यवस्था निम्नानुसार है :—

(अ) न्यायिक मजिस्ट्रेट — राज्य के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में राजस्थान अधीनस्थ अभियोजन सेवा के सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है ।

(ब) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट— राज्य के सभी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में राजस्थान अभियोजन सेवा के अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है ।

(स) विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — राज्य मे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरणो की सुनवाई हेतु राज्य मे 16 न्यायालय सृजित है। इन न्यायालयो मे पैरवी हेतु राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 15 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(ड) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम — राज्य मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम मे गठित विशेष न्यायालयो मे से राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 4 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(च) विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचार — राज्य मे गठित विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचारो मे से 2 न्यायालयो मे से राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 2 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(छ) विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी , विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड — राज्य मे विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी , विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड में सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी विशिष्ट लोक अभियोजक के रुप में पैरवी कर रहे है।

5. आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 5 वर्ष से तुलनाः—

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष नवम्बर 2019 तक की अवधि में समस्त अभियोजन अधिकारियो द्वारा समस्त अपराध वर्गों के 866927 अपराध प्रकरणों में पैरवी कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों मे से 289612 (33.4 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 570924 (66.6 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें। समस्त अपराध वर्ग में दोष सिद्धि (89.45 प्रतिशत) रहा है।

उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या 493197 थी, जिनमे से 79710 (16.6 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 407289 (83.63 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें जिसमें दोष सिद्धी 57.62 प्रतिशत रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित माह नवम्बर 2019 तक 3378 अभियोग विचाराधीन रहें, जिनमें 243 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 3135 प्रकरण लम्बित रहें तथा दोष सिद्धी का प्रतिशत 54.9 प्रतिशत रहा है।

वर्ष नवम्बर 2019 तक महिलाओ पर अत्याचार से संबंधित कुल 51032 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 11323 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 39709 प्रकरण विचाराधीन हैं। दोष सिद्वि 25.83 प्रतिशत रही।

वर्ष जून 2019 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुल 11702 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 1065 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 10637 प्रकरण विचाराधीन हैं। सजायबी 20.2 प्रतिशत रहा एवं निर्णय का प्रतिशत 9.10 रहा।

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत् 5 वर्षों में **अन्य अपराध वर्ग** अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा :–

क्र. सं	विवरण	वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017	वर्ष 2018	वर्ष 2019 नवम्बर
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	510077	517486	555004	568767	571527
2.	दायर	261919	289754	317660	303411	295400
3.	योग	771996	807240	872664	872178	866927
4.	कमिट (–)	9046	7851	6955	6669	6391
A.	कुल विचाराधीन प्रकरण	762950	799389	865709	866115	860536
B.	दोषसिद्धि	179897	187805	223928	225415	205465
C.	दोषमुक्ति	18407	18073	23663	25242	24244
D.	अन्य ढंग से	47160	38507	49351	43325	59903
5.	कुल निर्णित प्रकरण	245464	244385	296942	293982	289612
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	517486	555004	568767	571527	570924
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	90.72	91.22	90.44	90.44	89.45
8.	निर्णय का प्रतिशत	32.17	30.57	34.30	34.30	33.65

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत् 5 वर्षों में **भारतीय दण्ड सहिता** अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा :–

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017	वर्ष 2018	वर्ष 2019 नवम्बर
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	382874	387972	401167	401657	401275
2.	दायर	97086	95740	100497	91009	91922
3.	योग	479960	483712	501664	492666	493197
4.	कमिट (–)	8411	7486	6659	6418	6198
A.	कुल विचाराधीन प्रकरण	471549	476226	495005	486248	486999
B.	दोषसिद्धि	36299	30611	33845	32622	28249
C.	दोषमुक्ति	16451	15984	20335	21734	20774
D.	अन्य ढंग से	30827	28464	39148	30617	30687
5.	कुल निर्णित प्रकरण	83577	75059	93348	84793	79710
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	387972	401167	401657	401275	407289
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	68.81	65.70	62.44	60.02	57.62
8.	निर्णय का प्रतिशत	17.72	15.76	18.86	17.48	16.37

6. **आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियॉ** :–

1. राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों में अभियोजन सफलता का प्रतिशत वर्ष जनवरी 2019 से नवम्बर 2019 में नवम्बर माह तक भा.द.सं. के अन्तर्गत 57.62 प्रतिशत तथा समस्त अपराध वर्ग में 89.45 रहा है।

2. पदौन्नति –

(अ) अभियोजन सेवा

क्र.सं.	पदनाम	विभागीय पदौन्नति की स्थिति
1.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन	वर्ष 2019–20 की पदोन्नति की जानी शेष है।
2.	उप निदेशक अभियोजन	वर्ष 2018–19 व 2019–20 की पदोन्नति की जानी शेष है। (उच्च न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन होने के कारण)
3.	सहायक निदेशक अभियोजन	वर्ष 2018–19 व 2019–20 की पदोन्नति की जानी शेष है। (उच्च पदो पर विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक न होने के कारण)
4.	अभियोजन अधिकारी	वर्ष 2017–18 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजन हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा गया है तथा वर्ष 2018–19 हेतु सहायक अभियोजन अधिकारी को अनुभव नही होने से विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक किया जाना संभव नही है।

(ब) मंत्रालयिक सेवा

क्र.सं.	पदनाम	विभागीय पदौन्नति की स्थिति
1.	निजी सचिव	वर्ष 2018–19 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रकियाधीन है।
2.	निजी सहायक	वर्ष 2015–16 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। इसके पश्चात् शीघ्र लिपिक के पदों पर कोई कार्मिक पदस्थापित नही है
3.	प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2019–20 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2019–20 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2019–20 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रकियाधीन है।
6.	वरिष्ठ सहायक	वर्ष 2019–20 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रकियाधीन है।
7.	कनिष्ठ सहायक	वर्ष 2019–20 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।

3 भवनों के सम्बन्ध मेंः— विगत पॉच वर्षो मे जोधपुर, टोंक, कोटा, राजसमन्द, झुन्झुनू, गंगापुर सिटी, औसिया , पीपाड, सुजानगढ, नोखा, हनुमानगढ़, टिब्बी, संगरिया, दूदू, बाली (जिला पाली) व नवलगढ (झुंझुनू) में अभियोजन भवनो का निर्माण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2017—18 के अन्तर्गत जिला मुख्यालय स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय डूगरपुर व बांरा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2018—19 के अन्तर्गत जिला मुख्यालय स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय बाड़मेर व एसीबी भरतपुर, अभियोजन अधिकारी कार्यालय विजयनगर, सरवाड़, पुष्कर, आमेट, रेलमगरा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2019—20 के अन्तर्गत जिला मुख्यालय स्तर पर सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय सीकर के प्रथम तल व अभियोजन अधिकारी कार्यालय देवली, नाथद्वारा,भीम, देवगढ,कुम्भलगढ, मण्डोर (खोखरिया),पदमपुर हेतु राशि ₹ 54.24 लाख की स्वीकृति उपरान्त दिनांक 28.08.19 को वित्तीय एंव प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है।

4 नियुक्तिः— वर्ष 2019 में 01 सहायक अभियोजन अधिकारियो की विज्ञप्ति (वर्ष 2015) के नियुक्ति आदेश जारी किये गये तथा 2011 मे जारी विज्ञप्ति के क्रम मे न्यायालय के आदेश के क्रम मे 2 के नियुक्ति आदेश जारी किये गये जिसके क्रम मे 01+ 2 ने अपनी उपस्थिति दी। वर्ष 2019 में माह दिसम्बर 2019 तक 07 मृतक आश्रितों को कनिष्ठ सहायक,I 11 राजस्थान लोक सेवा आयोग एंव 2 मृतक आश्रितों को च.श्रेणी. कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी गई है।

5 विभाग द्वारा वर्ष 2019—20 मे 295 अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया।

6 बजट — अभियोजन विभाग से संबंधित बजट मद 2014—00—114—02—01 (State Fund) में वर्ष 2019—20 मे ₹ 9267.32 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसके विरुद्व माह दिसम्बर 2019 तक ₹ 7108.46 लाख रुपये का व्यय हो चुका है। अभियोजन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु कार्यालय भवन के निर्माण के लिए बजट मद 4059—80—(051)—08—00—(17)(Central Assistance) मे वित्तीय वर्ष 2018—19 में राशि ₹ 152.51 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2019 तक राशि ₹ 88.89 लाख का व्यय हो चुका है।

7 निरीक्षण – वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर तक विभागीय अधिकारियो द्वारा निरीक्षण के 80.63 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्यो को हासिल किया।

8 अभियोजन सेवा के समस्त अधिकारियो का एक डेटाबेस तैयार करने की प्रकिया प्रारम्भ की गई है, जिसके आधार पर उच्च अभियोजन सफलता प्रदान करने वाले अभियोजन अधिकारियो को विभागीय स्तर से सम्मानित एंव निम्न अभियोजन सफलता प्रदान करने वाले अभियोजन अधिकारियो के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी।

9 E-Prosecution Software के तहत एन.आई.सी. नई दिल्ली द्वारा समस्त सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान मुख्यालय सहित 36 कम्प्यूटर, स्कैनर मय प्रिन्टर उपलब्ध कराये गये।

10 वर्ष 2019 में सहायक अभियोजन अधिकारी के 48 रिक्त पदो को भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवायी जानी प्रकियाधीन है।

.....